आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदा, प्रारूप एवं शर्त्तें।

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को UPSC द्वारा समय–समय पर आयोजित होनेवाली परीक्षाओं के लिए वातानुकूलित वाहनों की आवश्यकता है। इस निमित निम्नांकित शर्त्तों के अधीन इच्छुक एजेन्सी/वाहन मालिकों से मुहर बन्द निविदा(तकनीकी एवं वित्तीय अलग–अलग लिफाफे में) आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. भाड़े का वाहन परीक्षा अवधि के दौरान प्रति घंटे की दर पर (ईंधन, चालक एवं अन्य अनुमान्य कटौतियों यथा आयकर, सेवा कर इत्यादि सहित) लिया जायेगा एवं वाहन का व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. एजेन्सी या मालिक के पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI), सेवा शुल्क संस्थानों का निबंधन तथा PAN का होना आवश्यक है।
3. एजेन्सी या मालिक के नाम से कम से कम दस वाहन निबंधित होना चाहिए एवं वह वाहन अधिकतम पॉच वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
4. वाहन का किराया सभी कर एवं कटौती सहित संलग्न प्रारूप में होना चाहिए।
5. भाड़े के वाहन के रख–रखाव का दायित्व वाहन मालिक का होगा एवं चालक के पास प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राईविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा।
6. वाहन अल्प सूचना पर आवश्यकतानुसार ससमय उपलब्ध कराना होगा।
7. किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. निर्धारित तिथि को ससमय मांग के अनुरूप वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर आपके विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
9. परीक्षा संबंधी कार्यो में प्रयुक्त वाहनों में किसी प्रकार की कठिनाई/खराब होने की स्थिति में उसके बदले अविलम्ब दूसरी वाहन जो पॉच साल से पुरानी नहीं हो, की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अतिरिक्त किराया नहीं दिया जायेगा।
10. वाहन से संबंधित कागजात यथा टैक्स/बीमा आदि मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अद्यतन होना चाहिए एवं इसकी देयता की जिम्मेवारी पूर्णतया मालिक की होगी।
11. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी द्वारा उनके काली सूची में नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. एजेन्सी/मालिक को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी उपक्रम में वाहन आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।
13. एजेन्सी/मालिक को पिछले लगातार तीन प्राक्कलन वर्षो (2016–17, 2015–16 एवं 2014–15) का आयकर जमा करने का प्रमाण संलग्न करना चाहिए।

14. वाहन मालिक को वाहन किराये का भुगतान, अभिश्रव उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

15. परीक्षा संबंधी कार्य में वाहन आपूर्ति करने से मुक्त होने के लिए कम से कम तीन माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी।

16. निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेख स्वतः अभिप्रमाणित होने चाहिए तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संलग्न सभी अभिलेख सही है।

17. निविदा के साथ 5,000/रू0 बैंक ड्राफ्ट, जो **"आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना"** के नाम से भुगतेय हो, संलग्न करना होगा। निविदा में असफल निविदा दाताओं को यह राशि लौटा दी जायेगी।

18. सफल निविदादाता को कार्य आवंटन के समय जमानत राशि के रूप में **50,000/–रूपये** का बैंक गारंटी **"आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना"** के नाम से जमा करना होगा।

19. सफल निविदादाता को निविदा की शर्त्तो के तहत एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा हेतु आवश्यक व्यय मालिक/एजेन्सी पर भारित होगा।

20. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी सभी वांछित अभिलेख सहित कम्प्यूटर टंकित आवेदन के साथ दिनांक **24.07.2017 को अपराह्न 02:00 बजे** तक आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना कार्यालय में मुहरबंद लिफाफे में निविदा जमा कर सकते हैं। तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग–अलग बंद लिफाफे में होने चाहिए, जिस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी तथा वित्तीय निविदा तथा निविदादाता का नाम अंकित होना चाहिए। तकनीकी तथा वित्तीय निविदा के अलग–अलग लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा। इस लिफाफे पर भी निविदादाता का नाम और उद्देश्य अंकित होना चाहिए।

21. प्राप्त निविदा **दिनांक 24.07.2017 को अपराह्न 03:00 बजे** आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के सभाकक्ष में गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें वाहन मालिक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। एजेन्सी/मालिक निविदा खोलने के समय संलग्न अभिलेखों की मूल प्रति साथ लायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जमा किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रति के साथ किया जा सके।

22. निविदा समिति में सफल होने वाले निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

23. तकनीकी रूप से सफल निविदा दाताओं की वित्तीय निविदा को खोलने की तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जायेगी, जिसकी सूचना ससमय मोबाईल/दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी।

24. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को सुरक्षित रहेगा। अगर सेवा अनुकूल नहीं पायी जाती है तो मालिक की जमानता की राशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं उस एजेन्सी/वाहन मालिक को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

25. जिनके वाहन का दर न्यूनतम होगा उन्हें ही वाहन आपूर्ति करने का आदेश दिया जायेगा एवं यह एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक वर्ष के बाद सेवा संतोषप्रद रहने पर दोनों पक्षों की सहमति से एकरारनामा का अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना।

विहित–प्रपत्र

वाहन का प्रकार (वातानुकूलित)	**दर (राशि रू0 में)**
	प्रतिघंटा की दर से राशि (ईंधन, चालक, रख–रखाव एवं अनुमान्य सभी कर सहित)
1. इनोवा/सफारी	
2. सूमो/स्कार्पियो/ जाईलो/XUV एवं अन्य सात सीट वाले वाहन	
3. इंडिगो/स्वीफ्ट डिजायर एवं अन्य पॉच सीट वाले वाहन	

नोट :– तकनीकी निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों (छायाप्रति) की सूची :–

(i) आवेदन
(ii) वाहन के व्यवसायिक निबंधन एवं क्रय रसीद
(iii) EPF/ESI
(iv) B.S.T. परिवहन विभाग में निबंधन की प्रति।
(v) PAN
(vi) टैक्स तथा बीमा की प्रति।
(vii) काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र (मूल में)
(viii) विगत तीन प्राक्कलन वर्षो (2016–17, 2015–16 एवं 2014–15) का आयकर जमा करने का प्रमाण–पत्र।
(ix) अनुभव प्रमाण–पत्र
(x) संलग्न अभिलेख की सत्यता के संबंध में शपथ–पत्र।
(xi) 5000/–रूपये का बैंक ड्राफ्ट

निविदा दाता का हस्ताक्षर,